

कार्यालय टिप्पणी  
राज्य सरकार जे. प्रो. डी. एस. कौशिक कुमर  
सि. ई. कार. ६

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

संख्या 57/2020

प्रार्थनापत्र

२१-१-२० कागवली पेश हुई। पैसे का  
संख्या ३५०७ मूलवाद के तहसील दफ्तर  
विराटनगर द्वारा एक पत्र भ्रष्ट-पालात पेश  
किया गया जिस की वदस चुनी गयी।  
वदस में तर्क रखा कि आप्रार्थी गण द्वारा  
पुश्नगत प्रकाश की आजी यात को  
संपरिवर्तन करवाना चाहते हैं जिसके  
पैसे संपादन शी प्रीमियम राशि ₹  
३,३३,५००/- जर्ष-पालात में  
५३०६५११६ दिनांक २३-१-२० द्वारा संबंधित  
मंद के जमा कराया दिष्ट गये है तथा  
मूलवाद का वदस मनन आप किया जा  
रुका है। अतः प्रार्थनापत्र प्रभावहीन होके  
से स्वारिज किया जाता है। कागवली  
फैसल कुमर लोक हसकिंग  
मूलवाद रहे नम्बर से कम होवे। निर्णय  
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

संख्या ५७/२०२०

दिनांक २३/१/२०

उपखण्ड अधिकारी  
(जयपुर)